

36/1/2014-R&SO  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi-110001,

Dated the 25<sup>th</sup> June, 2014

To

Shri Kamlesh Kumar Agarhari,  
Purana Chowk, Shahganj,  
Johnpur-223101,  
Uttar Pradesh.

**Sub:-** Information sought under Right to information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your application dated 30.05.2014 forwarded by Prime Minister's Office on the subject mentioned above and to state that the requisite information as sought by you in your application is furnished as under:-

1. The erstwhile Ministry of Supply and Rehabilitation was looking after the work of evacuee property. However, the administration, management and disposal of the remaining undisposed of acquired evacuee land/properties are looked after by the respective State Governments. Presently, the Rehabilitation Division of the Ministry of Home Affairs at 2<sup>nd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi is looking after the residual work.

2. You are also requested to deposit Rs. 16/ @ Rs. 2/- per page in form of IPO/DD/Pay Order/Cash Receipt in favour of PAO, MHA, New Delhi for providing copies of the letter No.1(31)/Spl. Cell/CSC/71-SS.II dated 23<sup>rd</sup> March, 1977 (package deal with State Govt. of Uttar Pradesh)

3 to 16. As the work regarding Management and disposal of evacuee urban land/rural properties and lands situated in Uttar Pradesh has already been transferred to Govt. of Uttar Pradesh vide this Ministry's letter No.1 (31)/Spl. Cell/CSC/71-SS.II dated 23.03.1977, you are requested to approach the Relief & Rehabilitation Department, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow for seeking the requisite information.

2. The applicant has paid the prescribed RTI fee of Rs.10/- vide IPO in Prime Minister's Office.
3. The Appellate Authority in the matter is Shri K.K. Pathak, Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Yours faithfully,




(Shyam Sunder)

Deputy Secretary & CPIO

Copy to:-

- (i) The Secretary, Relief & Rehabilitation Department, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow along with an application dated 30.05.2014 of Shri Kamlesh Agarhari, Purana Chowk, Shahganj, Jonpur- 223101, Uttar Pradesh. It is requested to take appropriate action in the matter at your end under intimation to this Division.
- (ii) Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. letter No.A-43020/01/2014-RTI dated 02.06.2014.
- (iii) Section Officer, IT Cell, MHA, North Block, New Delhi for uploading in MHA website. Copy of the RTI application dated 01.06.2014 is enclosed.

Encl. As stated above



(Shyam Sunder)

Deputy Secretary & CPIO

Hindi version will follow

Dy No 292842/EP/2014  
17/6/2014

सं. ए-80220.01/2014  
आयुक्त कार्यालय  
एन.डी.सी.ओ.  
नई दिल्ली

दिनांक: 12 जून, 2014.

कार्यालय, भारत

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री कमलेश कुमार अग्रहरी का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना माँगा करने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री कमलेश कुमार अग्रहरी के दिनांक 30/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में प्रधान मंत्री कार्यालय से अंतरण द्वारा दिनांक: 10/06/2014 को प्राप्त) को उप. उप. आर प्रभाग को अर्पित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि माँगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदन को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अर्पित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 10/06/2014 को रजिस्ट्रार के जमा कर दिया है। मंजूर नहीं किया है क्योंकि वह जो फीस कंपनी से संबंध रखता/रखती है।

प्रधान मंत्री कार्यालय में

संलग्नक : यद्योपरि

PH/4P  
30(EP)

14/6/14

सु. सामंत  
(एस. सामंत)  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

उप सचिव (पुनर्वीस),  
गृह मंत्रालय  
एन.डी.सी.ओ. - II भवन  
नई दिल्ली।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री कमलेश कुमार अग्रहरी,  
पुराना चौक, शाहगंज  
जौनपुर - 223101  
उत्तर प्रदेश

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

14/7/14

US (R)

19/6/14

सेवा में,

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी  
प्रधानमंत्री कार्यालय  
साउथ एवेन्यू, रायसीना हिल, नई दिल्ली-110011

294-1/19-4 June 17

184

URGENT	
Diary	17795
& Date	03/06/14
For Disposal.....02/06/14	

दिनांक-30 MAY 2014

RECEIVED
30 MAY 2014

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

भारत की आजादी के बाद सन 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान पलायन करने वाले लोगों के निष्क्रान्त सम्पत्ति के संबंध में मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराये -

1. कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी जो पहले भारत सरकार के श्रम रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत था वर्तमान में उसे केन्द्र सरकार के किस मंत्रालय एवं किस विभाग के अन्तर्गत रखा गया है ? उस मंत्रालय एवं विभाग का नाम व डाक पता का प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराये ।
2. निष्क्रान्त सम्पत्ति से संबंधित पैकेज डील जिसे भारत सरकार के तत्कालीन पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग के दिनांक 23.03.1977 के पत्र संख्या 1 31 / स्पेशल सेल / सी.एस.सी./71-एस.एस.-11 के तहत उ०प्र० राज्य सरकार के साथ की गयी थी, उक्त पैकेज डील का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।
3. निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रबंध तथा निस्तारण संबंधी नियमों एवं अधिनियमों की पर्याप्त जानकारी कराने के उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्राविधानों, नियमों, अधिनियमों एवं आदेशों की संक्षिप्त पुस्तिका सन 1986 में तैयार की गयी थी उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।
4. कार्यालय असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी, 15 राना प्रताप मार्ग, लखनउ, उ०प्र० किस तिथि से किस तिथि तक 15 राना प्रताप मार्ग, लखनउ, उ०प्र० पते पर संचालित होता रहा है । और किस आदेश के पश्चात किस तिथि से उसे राजस्व परिषद उ०प्र० को उसका कार्यभार, अधिकार व संबंधित अभिलेख सौंपे गये का प्रमाणित सूचना आदेश का प्रमाणित प्रति सहित उपलब्ध कराये ।
5. कार्यालय असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी, 15 राना प्रताप मार्ग, लखनउ, उ०प्र० द्वारा राजस्व परिषद उ०प्र०, लखनउ में विलय के समय असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी लखनउ, उ०प्र० के किन-2 अभिलेखों, रजिस्ट्रों आदि का चार्ज किस अधिकारी द्वारा राजस्व परिषद उ०प्र० के किस अधिकारी को सौंपा गया ? उन अधिकारियों के नाम, पद व हस्तागत किये गये पत्रावलियों का सूची एवं पूरक चार्ज लिस्ट जिसमें चार्ज लेने वाले का हस्ताक्षर हो का प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराये ।
6. सन 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान पलायन करने वाले उ०प्र० के वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के किन-2 लोगों की कौन-2 सी सम्पत्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया उनको सेक्शन 7 के तहत असिस्टेंट कस्टोडियन द्वारा जारी नोटिस फार्म नं० 1 और उस नोटिस फार्म नं० 1 पर पारित आदेश का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।
7. इवैक्यू प्रापर्टी एक्ट 31 ऑफ 1950 के धारा 10 2 0 के तहत सार्वजनिक नीलामी व अन्य माध्यमों द्वारा सन 1954 से सन 1986 तक वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के किन-2 लोगों द्वारा निष्क्रान्त / कस्टोडियन सम्पत्ति किन-2 गाँव में क्रय किया गया ? उन्हें असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी लखनउ उ०प्र० द्वारा जारी किये गये सेल सर्टिफिकेट फार्म नं० 10 का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।
8. असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी लखनउ, उ०प्र० द्वारा वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के तहसीलदारों को म्यूटेशन हेतु सन 1954 से सन 1986 तक जारी पत्र का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।
9. असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी लखनउ, उ०प्र० द्वारा वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के सब रजिस्ट्रारों को रजिस्ट्रेशन हेतु सन 1954 से सन 1986 तक जारी पत्र तथा रजिस्ट्रेशन हेतु जमा चालान राशि के चालान का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।
10. असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी लखनउ, उ०प्र० द्वारा वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के तहसीलदारों को म्यूटेशन हेतु सन 1954 से सन 1986 तक जारी पत्र पर तहसीलदारों द्वारा किये गये अनुपालन आदेशों एवं उस पत्र पर किये गये नोटिंग/रिमार्क/टिप्पणी का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।
11. असिस्टेंट कस्टोडियन इवैक्यू प्रापर्टी लखनउ, उ०प्र० द्वारा वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के सब रजिस्ट्रारों को रजिस्ट्रेशन हेतु सन 1954 से सन 1986 तक जारी पत्र तथा रजिस्ट्रेशन हेतु जमा चालान राशि के चालान पर सब रजिस्ट्रार द्वारा किये गये अनुपालन आदेशों एवं उस पत्र पर किये गये नोटिंग/रिमार्क/टिप्पणी का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये ।

1/PO No. 70C 02 0019-20 of 2101-

कमरा:

3955731

S/ka  
13

- 12. उ०प्र० के वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के इवैक्यू प्रापर्टी के सेल रजिस्टर फार्म 19 का सन 1947 से 2012 तक का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें
- 13. उ०प्र० के वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के इवैक्यू प्रापर्टी के एकाउण्ट बुक रजिस्टर फार्म 13 का सन 1947 से 2012 तक का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें ।
- 14. उ०प्र० के वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के इवैक्यू प्रापर्टी के फार्म 10 रजिस्टर का सन 1947 से 2012 तक का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें ।
- 15. उ०प्र० के वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के इवैक्यू प्रापर्टी के फार्म 1 रजिस्टर का सन 1947 से 2012 तक का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें ।
- 16. उ०प्र० के वाराणसी एवं जौनपुर जनपद के इवैक्यू प्रापर्टी के फार्म 5 रजिस्टर का सन 1947 से 2012 तक का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें ।

संलग्नक-

सूचना प्राप्त करने हेतु अनुभाग अधिकारी , प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम दिया जाने वाला शुल्क रू० 10 का भारतीय पोस्टल आर्डर नं० 70C 020019 , 70C 020020

सादर ।

भवदीय  
5/2/2014

कमलेश कुमार अग्रहरी  
सक्रिय आर.टी.आई.एक्टिविस्ट  
पुराना चौक,शाहगंज  
जौनपुर, उ०प्र०-223101

E MAIL-kamleshagrahari.agrahari893@gmail.com

Mo.No. 09335245979